अति आवश्यक
तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 5777 /प्र.अ./विधि (स्टेनो)/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 19/6/24

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
मंडल.....

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
खंड.....

विषयः—ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है तथा जिन्हें न्यूनतम वेतन की एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय के कुछ कार्यालयीन पत्रों के आधार पर सातवें वेतनमान की एरियर राशि चाहने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में **''अभ्यावेदन निराकरण आदेश''** जारी करने हेतु **''आदेश प्रारूप''** भिजवाने विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह पाया गया है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी स्थाईकर्मी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है तथा जिन्हें ''रामनरेश रावत'' प्रकरण के अनुसार न्यूनतम वेतन की एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं मुख्य अभियंता, जबलपुर कार्यालय से जारी पत्र कमांक कमशः 1773 दिनांक 09.02.23 एवं 596 दिनांक 24.02.23 को आधार बनाकर (जिन्हें जारी होने के कुछ समय पश्चात ही निरस्त भी कर दिया गया था), उन्हें वर्ष 2004–05 से स्थायी वर्गीकृत मानते हुये शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश कमांक एफ 16–19/2022/1/34 भोपाल दिनांक 8 अगस्त 2022 के अनुकम में पद के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार सातवें वेतनमान की एरियर राशि प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं तथा यह भी पाया गया है कि सामान्य तौर पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं के निर्णय में विभागीय मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता के स्तर से याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये जा रहे हैं।

इस प्रकृति के एक न्यायालयीन प्रकरण **''बालन आर एवं 01 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य''** में इस कार्यालय के स्तर से अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी किया गया हैं। उक्त **''आदेश नमूना''** जिसमें विभागीय पक्ष के सभी संभावित तथ्यों को शामिल किया गया है, आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया ध्यान दे कि इस आदेश प्रारूप में अभ्यावेदन निराकरण आदेश निकालने हेतु याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका, प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं न्यायालयीन निर्णयों का पूर्व अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रकरणवार आदेश के बिन्दुओं को संशोधित करने एवं प्रकरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जो आपके स्तर से सावधानीपूर्वक की जाना चाहिये। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में इस प्रकृति के प्रकरणों में मुख्य अभियंता, जबलपुर के स्तर से जारी अभ्यावेदन निराकरण आदेशों का परीक्षण किया गया है तथा यह पाया गया है कि उनके स्तर से आदेश जारी करते समय वादी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में संलग्न दस्तावेजों का सम्पूर्ण अध्ययन नहीं किया गया था तथा याचिका में उल्लेखित तथ्यों को निराकरण आदेश में सम्मिलित नहीं किया था। कृपया ध्यान दें कि इस प्रकृति का निराकरण भविष्य में पुनः न्यायालयीन प्रकरण दायर होने की संभावना उत्पन्न करता है। अतः पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

अंत में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी करते समय, जहाँ तक संभव हो, संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी करें ताकि शासन हित का यथासंभव संरक्षण संभव हो सके।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**
आदेश नमूना–07पेज

18.6.2024
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 5777 /विधि(स्टेनो)/प्र.अ./लोस्वायांवि./2024 भोपाल, दिनांक 19/6/24

प्रतिलिपी :–

सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**
आदेश नमूना–07पेज

18.6.2024
प्रमुख अभियंता

Seema 2024

आदेश नमूना प्रारूप

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 304/प्र.अ./विधि लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 13/06/2024

//अभ्यावेदन निराकरण आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 757/2024 (बालन आर एवं 01 अन्य विरूद्व म0प्र0शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05 फरवरी 2024 के परिपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायत का निराकरण किया जा रहा है।

1— श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 757/2024 दायर कर मा0 उच्च न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी।

(i)That, the Hon'ble Court may kindly be pleased to issue the writ in the nature of mandamus and direct the respondents to consider the claim of petitioners for classification on the basis of order issued by the department in time to time and pay the minimum of pay scale 5200-20200 grade pay 1800 and 7th pay with arrears of salary from the date of classification of petitioners in the light of order of Hon'ble Apex court Ramnaresh Rawat.
(ii)Any other appropriate writ, order of direction, which this Hon'ble Court decms just and proper, may also be passed in the interest of justice.

2— मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 05 फरवरी 2024 के माध्यम से किया गया है। जिसका आपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :—

2. This petition is diposed of directing the authority i.e.respondent No.4 to consider the grievance of the petitioners and take appropriate decision there of within a period of three months from the date of receipt of copy of this order. If benefit of 7th pay commission has been granted to other similarly situated employees and the petitioners are also entitled for the same , they may be granted the said benefit.
3. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case .
4. With the aforesaid directions, the petition is dispoesd of.

3— यह कि, याचिकाकर्ता श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 18.04.2024 प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

13.6.2024

प्रति,

श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मैकेनिकल भोपाल म.प्र.

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के याचिका आदेश के परिपालन के संबंध में।
संदर्भः— माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 फरवरी 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र में हम आवेदकगण की ओर से निवेदन है किः—

यह कि महोदय जी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 757/2024 में पारित आदेश द्वारा हम आवेदकगणों ने सातवें वेतनमान की पात्रता होने से लाभान्वित किये जाने हेतु हुई है।

अतः उक्त उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में सादर आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

4— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट याचिका क्रमांक 757/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के परिपालन में याचिकाकर्ता श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) के द्वारा माननीय न्यायालय से चाही गई सहायता का निर्धारण निम्नानुसार किया जा रहा है :—

विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु निम्न दो योजनायें प्रचलित है :—

(i) विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत करने तथा स्थायी वर्गीकरण से सम्बन्धी लाभ देने सम्बन्धी योजना

पी.एच.ई. विभाग में पानी की पाईप लाईन बिछाई जाती है। पानी की टंकियों का निर्माण किया जाता है। हैंडपंप ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का कार्य होता है। निर्माण कार्यो के संपादन हेतु बड़ी—बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। विभाग में 100 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्य की प्रकृति एवं कर्मचारियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये विभाग इंजीनियरिंग उद्योग की परिधि में आता है।

13.6.2024

आदेश नमूना प्रारूप

राज्य शासन के नोटिफिकेशन 4747 1230–16–ए दिनांक 6 अगस्त 1980 द्वारा म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 को राज्य के सभी उपक्रमों पर लागू किया गया है। विभाग एक उपक्रम है तथा उस पर मानक स्थायी आज्ञाओं के प्रावधान लागू होते हैं।

उपरोक्तानुसार विभाग के इंजीनियरिंग उद्योग की परिधि में आने तथा इसके एक उपक्रम होने के कारण, विभाग पर म .प्र शासन द्वारा श्रमिक विधियों के अंतर्गत बनाये गए **म. प्र ओद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1960 एवं म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963** काफी पूर्व से ही विभाग पर लागू होते है।

विभाग में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना कोई स्वीकृत पद या पद योग्यता के एवं बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रकिया के कार्य की आवश्यकतानुसार नियोजित कर लिये जाते हैं, उन दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है, इसलिए उन पर म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 लागू होते है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थायी आज्ञाएं, जो राज्य शासन के सभी उपक्रमों के लिए बनायीं गयी है, के स्थायी आदेश कमांक 2 में कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं स्थाई कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। मानक स्थायी आज्ञाओ के मानक स्थायी आदेश कमांक 2(i) अथवा 2(vi) के अतंर्गत कोई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक शर्ते पूरी करता है तो वह स्थाई रूप में वर्गीकृत होता है।

जहॉ तक दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी वर्गीकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही का प्रश्न है, यह सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है :–

(अ) माननीय श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण कर, वाद बिन्दु तय कर, उभयपक्षों के साक्ष्य उपरांत श्रम कानून के अंतर्गत आदेश पारित कर किसी दिनांक विशेष से वादी श्रमिक को स्थायी वर्गीकृत घोषित किया जा सकता है।

(ब) मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों के आधार पर नियोजक द्वारा स्थायी वर्गीकरण का आदेश पारित किया जा सकता है।

13.6.14

आदेश प्रारूप

म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थाई आदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थाई वर्गीकृत किये जाने पर उसे क्या वेतन देय होगा, यह उक्त अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। तत्समय दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता था।

मान. उच्चतम न्यायालय की अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पद के ग्रेडेड वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) देने के आदेश दिए गए थे । उक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में विभागीय स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनकी उक्त स्टेटस अवधि का पद के ग्रेडेड वेतनमान के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) के अनुसार भुगतान किया गया है ।

(ii)मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से लाई गयी "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"

पूर्व में म.प्र.शासन के कार्य विभाग (Works Departments) ही म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत आते थे तथा इन विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माननीय श्रम न्यायालयों अथवा प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत घोषित होने के उपरांत उन्हें स्थायी पद का वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता आती थी ।

वर्ष 2016 में, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत लाया गया है तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान

13.6.2019

आदेश नमूना प्रारूप

स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये है। वेतनमान निम्नानुसार है :–

अकुशल श्रेणी	4000–80–7000
अर्द्धकुशल श्रेणी	4500–90–7500
कुशल श्रेणी	5000–100–8000

इस योजना में कर्मचारी को पूर्व की सेवा अवधि की एरियर राशि भुगतान का प्रावधान नहीं रखा गया है बल्कि पूर्व की सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही इन कर्मचारियों के लिए यानि कार्यरत "स्थायी कर्मियों" के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया (जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर) के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है ।

(5)विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध विकल्प

विभाग के अधिनस्थ कार्यरत स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु ऊपर उल्लेखित दोनो ही योजनाओं कंडिका 4(i) तथा कंडिका 4 (ii) में सम्मिलित होने के विकल्प खुले हुऐ है किंतु विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थाई वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनके लिए मात्र कण्डिका 4 (ii) में उल्लेखित **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** का ही विकल्प उपलब्ध है।

(6)याचिका कर्ता कर्मचारी श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) के स्टेटस के संबंध में स्पष्टीकरण

श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) को माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थाई वर्गीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार वे कण्डिका 4(i) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते है।

याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका के साथ संलग्न किये गये प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के पत्र कं 3270 दिनांक 06.04.2010 एवं पत्र कमांक 1773 दिनांक 09.02.2023 तथा मुख्य अभियंता जबलपुर के पत्र कंमाक 3306 दिनांक 22.04.2010 एवं पत्र कमांक 596 दिनांक 24.02.2023 के आधार पर स्वयं को स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मान्य किये जाने का पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

13.6.2024

आदेश नमूना प्रारूप

इस संबंध में लेख है कि प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक 3270 दिनांक 06.04.2010 एवं मुख्य अभियंता जबलपुर का पत्र क्रमांक 3306 दिनांक 22.04.2010 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों हेतु निर्धारित श्रेणीयों अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने से संबंधित है जो विभाग द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ता कर्मचारियों को कार्यपालन यंत्री मेकेनिकल खण्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 11 दिनांक 30.01. 2017 (श्री टीकाराम नाथ) एवं आदेश क्रमांक 12 दिनांक 03.02.2017 (श्री बालन आर) के माध्यम से अकुशल श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है।

प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक 1773 दिनांक 09.02.2023 एवं मुख्य अभियंता जबलपुर के पत्र क्रमांक 596 दिनांक 24.02.2023 को उनमें निहित आशय की स्पष्टता पर विवाद होने के कारण क्रमश प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक 9099 दिनांक 14.06.2023 एवं मुख्य अभियंता जबलपुर के पत्र क्रमांक 2192 दिनांक 15.06.2023 के माध्यम निरस्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में इन पत्रों को रिट याचिका का आधार बनाया जाना किसी भी स्थिति में विधि अनुकूल नही है।

याचिकाकर्ता कर्मचारियों के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेशों के अभाव में, उनको **म. प्र ओद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1960 एवं म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961,** नियम 1963 में निहित मानक स्थायी आदेश के अनुसार स्थाई वर्गीकृत मान्य किये जाने की मांग, किसी भी तरह के विधिक तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण, मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

याचिकाकर्ता कर्मचारियों को उनके लिए उपलब्ध **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जिसका उल्लेख कण्डिका 4 (ii) में किया गया है, का लाभ दिया गया है तथा वे उसे निरंतर रूप से प्राप्त कर रहे है।

(7)याचिका कर्ता कर्मचारी श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) द्वारा रिट याचिका के माध्यम से चाहे गये लाभों का निर्धारण

याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित "रामनरेश रावत" प्रकरण के अनुपालन में स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को देय पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतनमान की राशि एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि चाही गई है। माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से उनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण का आदेश नहीं होने के कारण वे "रामनरेश रावत" प्रकरण की परीधि में नही आते हैं तथा उन्हें उक्तानुसार एरियर राशि की पात्रता नही आती है।

जहाँ तक सामान प्रकृति के अन्य कर्मचारियों को सातवे वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान किये जाने का प्रश्न है तो यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनके पक्ष में माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी नहीं हुए है, उन्हें एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

12.6.2024

आदेश नमूनाप्रारूप

लेख है कि सभी विभागों के स्थाई कर्मीयों को सातंवा वेतनमान दिये जाने की मांग म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष विचाराधीन है तथा यदि भविष्य में शासन द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है तो उन्हें उक्त लाभ प्रदान किया जावेगा।

विभाग यह भी सूचित करना चाहता है कि वैसे भी वर्ष 2004–.2005 से वर्तमान तक की एरियर राशि की मांग माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांतो के अनुसार अमान्य है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''एम. आर.गुप्ता बनाम भारत संघ (1995) 5 SCC 628, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5151–.5152 /2008 (''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह'') में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349 /20232 (''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य'') में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 ''असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम'' में पारित निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2015, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 ('मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव'') में पारित निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर 2009, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022 ''रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन'' में पारित निर्णय दिनांक 18 मई 2022, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022, रिट पिटीशन क्रमांक 13892/2022 (हृदय राम यादव एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022, रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023 एवं रिव्यु पिटीशन क. 343/2024 (म. प्र शासन एवं अन्य विरुद्ध गंगा प्रसाद दुबे) में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल 2024, के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण विचारोपरांत याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका क्रमांक 757/2024 के माध्यम से उठाई गई मांग को अमान्य किया जाता है।

13.6.2024
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 5603 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 13/06/2024

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियंता (वि./यां.) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकनिकल खण्ड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

4 श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकनिकल उपखंड रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

13.6.2024
प्रमुख अभियंता